PRH0.2956
15-10-2012

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 1(1)साप्र/2/2012 जयपुर, दिनांक 10 OCT 2012

–: आदेश :–

श्री राजेश्वर सिंह, आई.ए.एस. शासन सचिव लघु उद्योग विभाग, जयपुर जिनकी सेवानिवृति दिनांक 31.7.2024 है को राजकीय आवास संख्या 20–एफ हीराबाग आवंटित है। श्री राजेश्वर सिंह का निजी आवास होने के परिपेक्ष्य में साधारण किराये के तीनगुणा भुगतान पर अनुमति प्रदत्त की हुई है। श्री राजेश्वर सिंह के प्रकरण में राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर राजकीय आवास संख्या 20–एफ हीराबाग के स्थान पर राजकीय आवास संख्या I/6 (रिक्त होने की प्रत्याशा में) गांधीनगर, जयपुर का साधारण किराये के तीनगुणा किराये भुगतान पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

Old(web)
15-10-2012

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवास के **रिक्त होने की तिथि से** 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या एफ12004897 दिनांक 5.10.2012 के क्रम में।
4. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क–1) विभाग।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
8. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर ।